UPMP040158902026

न्यायालय सिविल जज(अ०व०),एफ.टी.सी./14 वां वित्त आयोग,मैनपुरी।
Criminal Misc. Cases/1719/2026

अ.स.-150/2026
धारा- 35(1)/106,317(2) ,
317(5),318(4)बी.एन.एस.
व 3/25 आर्मस एक्ट।
थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी।

राज्य बनाम अज्ञात।

दिनांक-01.07.2026

प्रार्थी सतेंद्र पुत्र राकेश की ओर से अपराध संख्या-150/2026, धारा-35(1)/106,317(2), 317(5),318(4)**बी.एन.एस. व** 3/4 **आर्मस एक्ट** थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी में थाने पर निरूद्व वाहन मोटर साइकिल नम्बर- UP84 AK5258 को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि मोटर साइकिल स० UP84-AK-5258 के समस्त प्रपत्र पूर्ण व वैध है। प्रार्थिनी उपरोक्त वाहन की विधिक स्वामी है। प्रार्थी की मोटर साइकिल सैफई अस्पताल से चोरी हो गयी थी। प्रार्थी को अभी हाल में ज्ञात हुआ है कि कुछ अज्ञात चोरो से कई मोटर साइकिले थाना एलाऊ पुलिस द्वारा बरामद की गई है। जिसमें प्रार्थी की भी मोटर साइकिल बरामद हुई है। उक्त वाहन के थाने में खडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। तथा प्रार्थिनी का आर्थिक नुकसान होगा। उक्त वाहन को माननीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रार्थी उसे प्रस्तुत करेगी और उसमें कोई बनाव या बिगाड नहीं करेगी। प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी मोटर साइकिल स० UP84-AK-5258 को अपने हक में रिलीज कराना चाहता है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि मोटर साइकिल स० 84-AK-5258 को उचित जमानत व मुचलके व पर रिहा करने की कृपा करे।

थाने की आख्या के अनुसार थाना एलाऊ मैनपुरी में दिनांक- 12.05.2026 को मु०अ०सं०-150 धारा-35(1)/106,317(2), 317(5),318(4)बी.एन.एस. व 3/4 आर्मस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें चोरी की 10 गाड़ी बरामद हुई थी। तीन अभियुक्त पकड़े गए थे। आवेद की गाड़ी सं०-UP84 AK5258 संबंधित है जो थाना एलाऊ में खड़ी हुई है। उक्त गाड़ी मुकदमें से संबंधित है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत वाहन थाने पर निरूद्व है। आवेदक की ओर से अपने कथनो के समर्थन में वाहन की छायाप्रति व असल प्रति आर.सी. , छायाप्रति व असल प्रति बीमा व आधार कार्ड की छायाप्रति को दाखिल किया है। प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगतवाहन आवेदक के पक्ष में पंजीकृत है।

अन्य किसी की ओर से सुपुर्दगी हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। **विधि व्यवस्था सुन्दर लाल देसाई वनाम गुजरात राज्य** 2013 (1) **जे.आई.सी.** 615 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि गाडियॉ थाने में खडी रहने से राष्ट्रीय क्षति होती है प्रश्नगतवाहन के निरूद्ध रहने से खराब होने का अन्देशा है एंव थाने पर निरूद्ध रहने से कोई लाभप्रद उपयोग नही है एंव थाने पर खड़े रहने से उसकी उपयोगिता नष्ट होने की सम्भावना है। प्रश्नगतवाहन दैनिक कार्य के प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी उचित देखरेख पंजीकृत स्वामी ही कर सकता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत गाड़ी प्रार्थी/पंजिकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/पंजीकृत सतेंद्र पुत्र राकेश का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त वाहन मोटर साइकिल नम्बर- UP84 AK5258, **चेसिस सं०-MBLHAC**044**M**9**L**00663 को प्रार्थी के पक्ष में निम्न शर्तों पर सुपुर्द करें।

1. प्रार्थी/पंजिकृत स्वामी द्वारा मुव०-50,000/- (पचास हजार रुपए) का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू स्वयं अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।

2. कार्यवाही के दौरान प्रार्थी उक्तवाहन का न तो विक्रय करेगा और न ही उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा तथा उक्तवाहन को पुलिस या न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।

3. प्रार्थी/पंजिकृत स्वामी उक्तवाहन से सम्बन्धित अभिलेखों की तीन छायाप्रतियाँ दाखिल करेगा।

संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगतवाहन, यदि किसी अपराध में वांछित न हो तथावाहन के इंजन नं., चैसिस नं.एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करके उसके प्रार्थी/पंजिकृत स्वामी की सुपुदर्गी में दे देवें।

(आजम रहमानी)
न्यायालय सिविल जज(अ०व०)
एफ.टी.सी./14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी

Typed By- Rishabh Chauhan.